



राजस्थान सरकार
निदेशालय, महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर



क्रमांक:-प.4(1)(5)/निमअ/गोपनीय/2012/17288-320

जयपुर, दिनांक:- 25/04/2022

उप निदेशक/सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता
समस्त.....

विषय:-वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) सॉफ्टवेयर द्वारा ऑनलाईन भरे जाने के संबंध में।

संदर्भ:-प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक (क-1/गो.प्र.) विभाग के परिपत्र क्रमांक दिनांक 30.03.2022 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित है। कार्मिक विभाग के उक्त परिपत्र अनुसार वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन राजकाज सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन प्रस्तुत करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(~~डॉ. आभा जैन~~)
अतिरिक्त निदेशक, म.अ.

क्रमांक:-प.4(1)(5)/निमअ/गोपनीय/2012/

जयपुर, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
2. निदेशालय महिला अधिकारिता के समस्त राज्य सेवा अधिकारी।
3. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता, मुख्यालय को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

(~~डॉ. आभा जैन~~)
अतिरिक्त निदेशक, म.अ.

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-1/गो0प्र0) विभाग

क्रमांक प. 13(51) कार्मिक/क-1/गो.प्र./2022

जयपुर, दिनांक: 30 MAR 2022

--:परिपत्र:--

विषय:- राज्य सेवा के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राजकाज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑनलाईन भरे जाने बाबत।

कार्मिक विभाग द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक प. 13(51) कार्मिक/क-1/गो.प्र./2017 दिनांक 12.07.2017 के क्रम में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के साथ-साथ राज्य सेवा के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2021-22 से कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) राजकाज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑनलाईन भरा जावेगा एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिवेदन (APAR) में निश्चित समयावधि में टिप्पणी का अंकन नहीं किये जाने की दशा में Auto Forward/Approval प्रणाली अपनायी जावेगी।

राज्य सेवा के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी अपने एसएसओ आईडी के द्वारा लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर के APAR Module में स्वयं के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुक्रम में चैनल अनुसार प्रतिवेदक, समीक्षक व स्वीकारकर्ता प्राधिकारी नियत करेंगे एवं प्रतिवेदन चैनल अनुसार पूर्ण कर अगले स्तर पर अग्रेषित करेंगे। प्रतिवेदित द्वारा निश्चित समयावधि में प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा भी स्वयं के स्तर पर प्रतिवेदन टिप्पणी कर अग्रेषित किया जा सकेगा।

प्रतिवेदक, समीक्षक एवं स्वीकारकर्ता प्राधिकारी द्वारा निश्चित समयावधि में अपनी टिप्पणी अंकित किया जाना जरूरी है, अन्यथा प्रतिवेदन बिना टिप्पणी/ग्रेडिंग के Auto Forward/Approval प्रणाली से अग्रिम स्तर पर अग्रेषित हो जायेगा।

वर्ष 2021-22 से टंकित एवं डाक द्वारा प्रेषित कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किये जावेगे। परंतु जिन अधिकारियों के निर्धारित चैनल में यदि माननीय जनप्रतिनिधि की टिप्पणी अंकित किया जाना आवश्यक हो उनके प्रतिवेदन ऑफलाईन भी भरे जा सकेंगे।

अतः राज्य सेवा के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वर्ष 2021-22 से कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राज-काज सॉफ्टवेयर के APAR Module में निश्चित समयावधि में आवश्यक रूप से